



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग चार-अ

वर्ष ८, अंक १७(३)]

सोमवार, मार्च ७, २०२२/फाल्गुन १६, शके १९४३

[पृष्ठे ७, किंमत : रुपये १५.००

असाधारण क्रमांक ३८

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले  
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

महसूल व वन विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,  
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ मार्च, २०२२.

अधिसूचना

**भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.**

क्रमांक संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२२/अ-३.—ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्याच्या कलम १०क मध्ये, अशी तरतूद केलेली आहे की, राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे उक्त कलम १०क मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पांना, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देता येईल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये नमूद केलेल्या जमिनींची उक्त कलम १०क च्या खंड (ख) च्या व्याप्तीत येणाऱ्या आणि यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त प्रकल्प” असा करण्यात आला आहे) आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे राज्य शासनास दिसून आले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाने, उक्त प्रकल्पाकरिता केवळ निव्वळ जमिनीची आवश्यकता भासेल हे लक्षात घेऊन, प्रस्तावित संपादनासाठी उक्त जमिनींचे व्याप्तीक्षेत्र सुनिश्चित केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास, याद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या कलम १०क खालील उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून लोकहितास्तव सूट देणे, इष्ट वाटते ;

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १०क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे लोकहितास्तव उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देत आहे.

## अनुसूची एक

## जमिनीचा तपशील

१) मौजे चिंचेवाडी, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.

| अ.क्र. | गट क्रमांक        | अंदाजित क्षेत्र (( हेक्टर मध्ये) |
|--------|-------------------|----------------------------------|
| १      | ३२ नवा(६९)/४ पैकी | ०.१२.००                          |
| २      | ३२ नवा(६९)/३ पैकी | ०.०१.००                          |
| ३      | ३६ नवा(५९) पैकी   | ०.०४.००                          |
| ४      | ३९ नवा(६०) पैकी   | ०.२२.००                          |
| ५      | ३७ नवा(६६) पैकी   | ०.०१.००                          |
| एकूण   |                   | ०.४०.००                          |

२) मौजे चिखली, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.

| अ.क्र. | गट क्रमांक  | अंदाजित क्षेत्र (हेक्टर मध्ये) |
|--------|-------------|--------------------------------|
| १      | १६७/२ पैकी  | ००.०१.५०                       |
| २      | १६७/३ पैकी  | ००.८५.००                       |
| ३      | १६७/४ पैकी  | ००.१४.००                       |
| ४      | १६८ पैकी    | ००.२७.००                       |
| ५      | १६९ पैकी    | ००.५४.००                       |
| ६      | १७० पैकी    | ००.०२.००                       |
| ७      | १७१/१ पैकी  | ००.०६.००                       |
| ८      | १७१/२ पैकी  | ००.४९.००                       |
| ९      | १७४ पैकी    | ००.३६.५०                       |
| १०     | १७५/४ पैकी  | ००.००.७५                       |
| ११     | १७५/५ पैकी  | ००.०१.००                       |
| १२     | १७५/६ पैकी  | ०१.७५.००                       |
| १३     | १७५/८ पैकी  | ००.००.७५                       |
| १४     | १७५/९ पैकी  | ००.०८.२५                       |
| १५     | १७५/१० पैकी | ००.१०.५०                       |
| १६     | २२७/१अ पैकी | ००.१७.५०                       |
| १७     | २२७/२ पैकी  | ००.१२.००                       |
| १८     | २२६/१ पैकी  | ००.०१.५०                       |
| १९     | २२६/२ पैकी  | ००.८७.००                       |
| २०     | २२५ पैकी    | ००.०२.००                       |
| २१     | २२१ पैकी    | ००.२४.००                       |
| २२     | २१९ पैकी    | ००.०६.००                       |

| अ.क्र. | गट क्रमांक       | अंदाजित क्षेत्र (हेक्टर मध्ये) |
|--------|------------------|--------------------------------|
| २३     | २२० पैकी         | ००.३८.००                       |
| २४     | ४५ पैकी          | ०१.०५.००                       |
| २५     | ४९ पैकी          | ००.१८.५०                       |
| २६     | ४४/१ पैकी        | ००.०९.००                       |
| २७     | ४४/३ पैकी        | ००.२५.००                       |
| २८     | ५४/१ पैकी        | ००.२३.००                       |
| २९     | ५४/२ पैकी        | ००.८६.००                       |
| ३०     | ५४/३ पैकी        | ००.१७.००                       |
| ३१     | ५४/४ पैकी        | ००.०७.००                       |
| ३२     | ५४/५ पैकी        | ००.३२.००                       |
| ३३     | ५४/६ पैकी        | ००.३१.००                       |
| ३४     | ५४/७ पैकी        | ००.०९.००                       |
| ३५     | ५५ पैकी          | ००.१०.००                       |
| ३६     | ५७ पैकी          | ००.४२.००                       |
| ३७     | ५६ पैकी          | ०१.७०.००                       |
| ३८     | ५८/४ पैकी        | ०१.०१.००                       |
| ३९     | ५९/२ पैकी        | ०१.२५.००                       |
| ४०     | ३१/१ पैकी        | ००.२१.००                       |
| ४१     | ६२/२ पैकी        | ००.६९.००                       |
| ४२     | ६४/३/२ पैकी      | ००.०३.७५                       |
| ४३     | ६४/३/३ पैकी      | ००.०४.००                       |
| ४४     | ६४/३/४ पैकी      | ००.०४.००                       |
| ४५     | ६४/३/५ पैकी      | ००.०४.००                       |
| ४६     | ६४ ३/६+ ४/४ पैकी | ००.०४.५०                       |
| ४७     | ६४ ३/७+ ४/५ पैकी | ००.०२.००                       |
| ४८     | ६४ ४/३+ ३/८ पैकी | ००.०९.००                       |
| ४९     | ६४ ४/२ पैकी      | ००.०९.००                       |
| ५०     | ६४ ४/१ पैकी      | ००.१४.००                       |
| ५१     | ६४ ४/६ पैकी      | ००.००.७५                       |
| ५२     | ६४ ४/७ पैकी      | ००.०२.००                       |
| ५३     | ६४ ४/८ पैकी      | ००.०२.५०                       |
| ५४     | ६४ ४/९ पैकी      | ००.०१.००                       |
| ५५     | ६४/२ पैकी        | ००.४०.५०                       |
| एकूण   |                  | १५.६७.५०                       |

**अनुसूची दोन****प्रकल्पाचे वर्णन**

|                                      |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रकल्पाचे नाव                       | - वारणा पाटबंधारे मोठा प्रकल्प, ता.शिराळा, जि. सांगली                                                                                                         |
| प्रकल्पाचे वर्णन                     | - मौजे चिंचेवाडी, चिखली, ता.शिराळा, जि.सांगली येथील वारणा पाटबंधारे प्रकल्पाच्या उर्वरित वारणा डावा तीर कालवा कि.मी. ५३ ते ५५ साठी खाजगी जमिनीचे संपादन करणे. |
| जमीन संपादन करणाऱ्या अभिकरणाचा तपशील | - कार्यकारी अभियंता, वारणा कालवे विभाग क्रमांक-१, इस्लामपूर                                                                                                   |

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

**संजय इंगळे,**  
शासनाचे सह सचिव

**REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT**

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,  
Mumbai 400 032, dated the 4th March, 2022.

**NOTIFICATION**

RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013.

No.Sankirna-2021/C.R.22/A-3.—WHEREAS, section 10A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), in its application to the State of Maharashtra (hereinafter referred to as “the said Act”), provides that the State Government may, in the public interest, by notification in the *Official Gazette*, exempt any of the projects mentioned in the said section 10A from the application of the provisions of Chapter II and Chapter III of the said Act ;

AND WHEREAS, it appears to the State Government that the lands mentioned in the Schedule I appended hereto are required or likely to be required for the project mentioned in the Schedule II appended hereto, which is covered under clause (b) of the said section 10A (hereinafter referred to as “the said project”) ;

AND WHEREAS, the State Government has ensured the extent of the said lands for the proposed acquisition being bare minimum land required for the said project ;

AND WHEREAS, the Government of Maharashtra considers it expedient in the public interest to exempt the said project under section 10A of the said Act from the application of the provisions of Chapter II and Chapter III of the said Act ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 10A of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby, in the public interest, exempts the said project from the application of the provisions of Chapter II and Chapter III of the said Act.

*Schedule I***Details of Land**

1) Village Chinchewadi, Taluka Shirala, District Sangli

| Sr.No.       | Gut No.            | Approximate Area<br>(Hectare) |
|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 1            | 32 new (69)/4 Part | 0.12.00                       |
| 2            | 32 new (69)/3 Part | 0.01.00                       |
| 3            | 36 new (59) Part   | 0.04.00                       |
| 4            | 39 new (60) Part   | 0.22.00                       |
| 5            | 37 new (66) Part   | 0.01.00                       |
| <b>Total</b> |                    | <b>0.40.00</b>                |

## 2) Village Chikhali, Taluka Shirala, District Sangli

| Sr.No. | Gut No.     | Approximate Area<br>(Hectare) |
|--------|-------------|-------------------------------|
| 1      | 167/2 Part  | 00.01.50                      |
| 2      | 167/3 Part  | 00.85.00                      |
| 3      | 167/4 Part  | 00.14.00                      |
| 4      | 168 Part    | 00.27.00                      |
| 5      | 169 Part    | 00.54.00                      |
| 6      | 170 Part    | 00.02.00                      |
| 7      | 171/1 Part  | 00.06.00                      |
| 8      | 171/2 Part  | 00.49.00                      |
| 9      | 174 Part    | 00.36.50                      |
| 10     | 175/4 Part  | 00.00.75                      |
| 11     | 175/5 Part  | 00.01.00                      |
| 12     | 175/6 Part  | 01.75.00                      |
| 13     | 175/8 Part  | 00.00.75                      |
| 14     | 175/9 Part  | 00.08.25                      |
| 15     | 175/10 Part | 00.10.50                      |
| 16     | 227/1अ Part | 00.97.50                      |
| 17     | 227/2 Part  | 00.12.00                      |
| 18     | 226/1 Part  | 00.01.50                      |
| 19     | 226/2 Part  | 00.87.00                      |
| 20     | 225 Part    | 00.02.00                      |
| 21     | 221 Part    | 00.24.00                      |
| 22     | 219 Part    | 00.06.00                      |
| 23     | 220 Part    | 00.38.00                      |
| 24     | 45 Part     | 01.05.00                      |
| 25     | 49 Part     | 00.18.50                      |
| 26     | 44/1 Part   | 00.09.00                      |
| 27     | 44/3 Part   | 00.25.00                      |
| 28     | 54/1 Part   | 00.23.00                      |
| 29     | 54/2 Part   | 00.86.00                      |
| 30     | 54/3 Part   | 00.17.00                      |
| 31     | 54/4 Part   | 00.07.00                      |
| 32     | 54/5 Part   | 00.32.00                      |
| 33     | 54/6 Part   | 00.31.00                      |
| 34     | 54/7 Part   | 00.09.00                      |
| 35     | 55 Part     | 00.10.00                      |
| 36     | 57 Part     | 00.42.00                      |

| Sr.No.       | Gut No.          | Approximate Area<br>(Hectare) |
|--------------|------------------|-------------------------------|
| 37           | 56 Part          | 01.70.00                      |
| 38           | 58/4 Part        | 01.01.00                      |
| 39           | 59/2 Part        | 01.25.00                      |
| 40           | 31/1 Part        | 00.21.00                      |
| 41           | 62/2 Part        | 00.69.00                      |
| 42           | 64/3/2 Part      | 00.03.75                      |
| 43           | 64/3/3 Part      | 00.04.00                      |
| 44           | 64/3/4 Part      | 00.04.00                      |
| 45           | 64/3/5 Part      | 00.04.00                      |
| 46           | 64 3/6+ 4/4 Part | 00.04.50                      |
| 47           | 64 3/7+ 4/5 Part | 00.02.00                      |
| 48           | 64 4/3+ 3/8 Part | 00.09.00                      |
| 49           | 64 4/2 Part      | 00.09.00                      |
| 50           | 64 4/1 Part      | 00.14.00                      |
| 51           | 64 4/6 Part      | 00.00.75                      |
| 52           | 64 4/7 Part      | 00.02.00                      |
| 53           | 64 4/8 Part      | 00.02.50                      |
| 54           | 64 4/9 Part      | 00.01.00                      |
| 55           | 64/2 Part        | 00.40.50                      |
| <b>Total</b> |                  | <b>15.67.50</b>               |

*Schedule II*

**Description of the Project**

- Name of the Project - Warna Major Irrigation Project, Village : Chinchewadi, chikhali, Tal: Shirala, Dist Sangli.
- Description of Project - Land acquisition for Private Lands required for Warna Left Bank Canal km.53 to 55 of Warna Major Irrigation Project, Village : Chinchewadi, chikhali, Tal. Shirala, Dist. Sangli.
- Details of acquiring agency - Executive Engineer, Warna Canals Division No.1, Islampur

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY INGLE,  
Joint Secretary to Government.